कपिल सिब्बल
KAPIL SIBAL

मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
MINISTER OF
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 115

संदेश

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ है, जहाँ जनता का वर्चस्व हो। इसलिए आवश्यक है कि राजकाज की भाषा आम आदमी की भाषा अर्थात जनता जनार्दन की भाषा हो।

2. किसी राष्ट्र की राजभाषा न केवल उसकी पहचान होती है अपितु वह राष्ट्र को एक सूत्र में भी बांधती है। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है, जो देश के प्रत्येक भू-भाग के निवासियों के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करती है। हिंदी की इस विशेषता से ही इसे संविधान में भारत संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। इससे स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि स्वतंत्र भारत में संघ सरकार के राजकाज की भाषा हिंदी बने।

3. मेरा यह भी मानना है कि हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को भी समझें। मातृभाषा बच्चे को परिवार से और हिंदी उसे पूरे देश के साथ जोड़ती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि हम भारत के संविधान में राजभाषा के बारे में शामिल संवैधानिक उपबंधों का पालन करें, उनका आदर करें और राजभाषा का अधिक-से-अधिक प्रयोग करके अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का परिचय दें।

4. मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करें। हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि अपना अधिक-से-अधिक सरकारी काम हिंदी में करेंगे।

कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल

नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2010